वन एवं वन्य प्राणी विभाग, हरियाणा सरकार
कार्यालयः– प्र0मु0व0सं0 एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, हरियाणा

वन भवन सी–18, सैक्टर–6, पंचकूला–134109 फोन/फैक्स नं. 0172.2561224, 2583682 pccfwlhry@gmail.com

क्रमांक :– 1369 दिनांकः– 01.08.2024

सेवा में,

M/s JMS Infra Reality Pvt. Ltd.,
Regd. Office- 3rd Floor, Plot No. 10,
Sector-44, Gurugram

विषयः **Application for grant of wildlife NOC and approval of Conservation Plan for Affordable Plotted Colony (under DDJY-2016) in total land measuring 22.35625 Acre in the revenue estate of village-Wazirpur, Sector-95, District-Gurugram by M/s JMS Infra Reality Pvt. Ltd.**

सन्दर्भः मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव), गुरूग्राम का पत्र क्रमांक 188 दिनांक 06.06.2024 व मण्डलीय वन्य जीव अधिकारी, गुरूग्राम का पत्र क्रमांक 558 दिनांक 19.07.2024।

******

ऊपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के जोनल मास्टर प्लान की राजपत्रित अधिसूचना दिनांक 18.06.2021 मे किये गये प्रावधानों व मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव), गुरूग्राम की रिपोर्ट के मददेनजर M/s JMS Infra Reality Pvt. at Village-Dhorka, Sector-95, District Gurugram, Haryana को Directorate of Town & Country Planning, Haryana के पत्र क्रमांक 39053 दिनांक 27.12.2022 के अनुसार Affordable Plotted Colony (under DDJY-2016) in total land measuring 22.35625 Acre हेतु अनापत्ति पत्र व कन्जरवेशन केवल वन्य जीवन के दृष्टिकोण से निम्नलिखित शर्तों पर जारी किया जाता है:–

1. प्रयोक्ता एजैंसी वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की उल्लंघना नही करेगी। किसी भी प्रकार की उल्लंघना की स्थिति मे उचित कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।
2. सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के जोनल मास्टर प्लान की राजपत्रित अधिसूचना दिनांक 18.06.2021 मे किये गये प्रावधानों अनुसार अन्य विभागों से NoC/approval लेना प्रयोक्ता एजैसी की जिम्मेवारी होगी।
3. भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाए गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।
4. विभाग की अनुमति के बिना प्रस्ताव के ले–आउट प्लान व फर्म का नाम ना बदला जाये।
5. वन्य प्राणियों की Habitat Improvement हेतु Schedule-I & II species हेतु 146.65 लाख रूपये का Demand Draft No. 490720 दिनांक 19.07.2024 मण्डलीय वन्य जीव अधिकारी, गुरूग्राम के पास प्राप्त हो गया है।
6. Garbage disposal का निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जाएगा।

7. अन्य कोई भी शर्त इस कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय–समय पर लगाई जा सकती है।
8. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजैन्सी की जिम्मेवारी होगी।
9. निर्माण कार्य करवाते समय अधिक शोर करने वाले उपकरणों का प्रयोग न किया जाये।
10. लाईट रिफ्लेक्टर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की ओर न लगाया जाये।
11. विभाग इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है यदि ऊपर्युक्त शर्तो में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नही है।

स्पष्ट किया जाता है कि यह अनापत्ति पत्र केवल वन्य जीवन से सम्बन्धित है।

Wsg

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
हरियाणा, पंचकुला।

पृ0 कमांकः– 1370-1372 दिनांकः– 01.08.2024

इसकी एक प्रति निम्नलिखित कोः–

1. उपायुक्त, गुरूग्राम एवं अध्यक्ष जिला निगरानी समिति, पारिस्थितिकीय संवेदनशील ज़ोन, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, गुरूग्राम।
2. मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव), गुरूग्राम का पत्र कमांक 188 दिनांक 06.06.2024 के संदर्भ मे।
3. मण्डलीय वन्य जीव अधिकारी, गुरूग्राम।

सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Wsg
01/08/2024

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
हरियाणा, पंचकुला।